राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(11)एसीटीएडी/माडा/275(1)कोटा/2019–20/ दिनांक–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.),
कोटा।

विषय– आई.आई.टी. एवं नीट कोचिंग हेतु जनजाति बालक छात्रावास श्रीपुरा जिला कोटा के मरम्मत कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 3 में अंकित कार्य हेतु कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है–

(राशि लाख रू.)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम एवं स्थान	तकनीकी स्वीकृति		राशि प्रथम किश्त(90%)
			क्र/दि.	राशि	
1	2	3	5	6	7
1	कोटा	आई.आई.टी. एवं नीट कोचिंग हेतु जनजाति बालक छात्रावास श्रीपुरा जिला कोटा का मरम्मत कार्य	594/ 27.01.2021	8.85	7.08

उपरोक्त कार्य धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या– 22/2019–20 द्वारा आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से प्रथम किश्त 80% राशि रूपये 7.08 लाख परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. छात्रावास हेतु भवन मरम्मत का कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जावे। स्वीकृत कार्यों का आपके विभाग में प्रचलित गाईड लाईन अनुसार third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

क्रमशः........2

4. तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
6. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
7. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।

भवदीय,

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमांक– एफ 5(प)(11)एसीटीएडी/माडा/275(1)कोटा/2019–20/8582-94 दिनांक–4/3/21

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.– जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.– जयपुर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि स्वीकृति संख्या–22/2019–20 से प्रथम किश्त 80% राशि रूपये 7.08 लाख परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तान्तरित करावें।
5. उपनिदेशक, शिक्षा, कार्यालय हाजा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
7. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
8. मोनिटरिंग प्रकोष्ठ/लेखाकार (माडा)/माडा मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in